

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर
खनिज-भवन / Khanij Bhawan, बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)

क्रमांक-सखअ/सावर/बजरी/नीलामी/2025-26/

दिनांक:- (ई-हस्ताक्षरानुसार)

—:नीलामी विज्ञप्ति 03/2025:—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले जिला अजमेर की तहसील केकडी, सावर, सरवाड, भिनाय एवं टांटोटी के पुलिस थाना परिसर, खनिज बजरी के खनन पट्टेधारी के स्टॉक पोइन्ट पर एवं अन्य जगहों पर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 100/- रु का डी.डी./बैंकर्स चेक "सहायक खनि अभियन्ता सावर" (Assistant Mining Engineer, Sawar) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 28.07.2025 तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खनिज भवन, बालाजी मार्बल के पीछे, तहसील सावर जिला अजमेर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी हेतु खनिज बजरी का संक्षिप्त विवरण:-

(न्यूनतम आरक्षित दर 450/- प्रति टन)

क्र. सं.	स्थान का नाम (जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी है।)	बजरी की अनुमोदित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि रु.	न्यूनतम निविदा राशि रु.
1	सरपंच कुसायता	135	6075/-	60750/-
2	गुलगांव लीजधारक टी.पी पोइंट	70	3150/-	31500/-
3	देवमण्ड/देवपुरा लीजधारक टी.पी पोइंट	420	18900/-	189000/-
4	मेहरुकला लीजधारक टी.पी पोइंट	180	8100/-	81000/-
5	पुलिस थाना बोराडा, जिला अजमेर	170	7650/-	76500/-
6	पुलिस थाना केकडी सदर, जिला अजमेर	500	22500/-	225000/-
7	पुलिस थाना सरवाड, जिला अजमेर	64	2880/-	28800/-
8	पुलिस थाना सावर, जिला अजमेर	200	9000/-	90000/-
9	पुलिस थाना सराना, जिला अजमेर	4	180/-	1800/-
10	पुलिस थाना केकडी शहर, जिला अजमेर	110	4950/-	49500/-
कुल		1853	83385/-	833850/-

उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी की बोली दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 29.07.2025 (प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खनिज भवन, बालाजी मार्बल के पीछे, तहसील सावर जिला अजमेर के कमरा न. 02 में प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सहायक खनि अभियन्ता, सावर के कमरा नं. 02 में खोली जायगी। नीलामी की शर्तें कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।



नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

01. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफें पर स्पष्ट रूप से खनिज बजरी के स्टॉक किये गये स्थान/पुलिस थाना/क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायें कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर, जिला अजमेर के कमरा नम्बर 02 पर रखें टेन्डर बॉक्स में दिनांक 29.07.2025 (प्रातः 09:30 बजे से सांयकाल 05:00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
02. खनिज बजरी के स्टॉक के सभी स्थानों के लिए अलग-अलग निविदाएँ डाली जा सकती है व एक ही निविदादाता द्वारा एक अथवा एक से अधिक स्थानों की बजरी के लिए निविदा डाल सकता है।
03. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, सावर (Assistant Mining Engineer, Sawar) के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा राशि 10 रु प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
04. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध खनिज विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
05. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित पुलिस थाना परिसर/चौकी/क्षेत्र/स्थल/खनिज बजरी के खनन पट्टेधारी के स्टॉक पोइन्ट पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के तकनिकी स्टाफ से भी ली जा सकती है।
06. जब्तशुदा बजरी संबंधित स्थान पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
07. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के कमरा नम्बर 02 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ-साथ संबंधित बजट मद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 15 एवं अधिकतम 30 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
08. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चें) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
09. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्तारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ अर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
10. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सावर जिला अजमेर होगा।

12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम निविदादाता को राशि जमा कराने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में खनिज बजरी उठानी प्रारम्भ करनी होगी व एक ही साथ अधिकतम 30 दिवस में बजरी उठानी होगी।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक ही समय पर कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इंड्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा तथा कार्यालय द्वारा जारी रवन्ना का विवरण संबंधित अ.ख. अ., ख.अ., ख.अ.(सर्तकता) को भेजा जायेगा।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलामी की गई बजरी का पुनः [भण्डारण/परिवहन](#) अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
20. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
23. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(e-signed)

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर।

क्रमांक:—सम /

दिनांक:—(ई—हस्ताक्षरानुसार)

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर
02. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
03. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
04. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू-विज्ञान विभाग निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें !
05. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
06. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर—जोन, जयपुर।
07. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर—वृत्त, अजमेर।
08. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, केकडी / सावर / भिनाय / सरवाड।
09. श्रीमान पुलिस उप-अधीक्षक, केकडी, अजमेर।
10. श्रीमान तहसीलदार, केकडी / सावर / भिनाय / सरवाड / टांटोटी।
11. थानाधिकारी, पुलिस थाना, सावर / केकडी शहर / केकडी सदर / सरवाड / भिनाय / सराना / बोराडा।
12. मांग शाखा / कैशियर शाखा / अना. शाखा कार्यालय हाजा।
13. खनिकार्यदेशक, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(e-signed)

सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर।